कार्यालय जनपद न्यायाधीश, मेरठ

विज्ञप्ति– वास्ते यूपीएस बैटरी

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्रांक सं0 218/XVI-CPC/ecourt/Allahabd dated: 30.10.2015 के द्वारा यू0पी0एस0 की बैट्ररी क्रय किये जाने हेतु यू0पी0एस0 बैटरी की संख्या 260(दो सौ साठ) (Exide, luminous, Amron, Okaya) जो 12 वोल्ट 28 ए0एच0 की हो, जिसकी कम से कम 48 माह की वारन्टी/गारन्टी हो, क्रय हेतु पुरानी बैटरी 12 वोल्ट 28 ए0एच0 को वापस खरीदने तथा बिना वापस खरीद अलग अलग प्रकार से सीलबन्द टैन्डर दिनांक 02–01–2016 को दोपहर 12:00 बजे तक आमन्त्रित किये जाते है, नियत समय के पश्चात् प्राप्त टैन्डर पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। उक्त टैन्डर उसी दिन समय 04:00 बजे क्रय समिति के समक्ष तेरह न्यायालय भवन के सभागार कक्ष में खोले जायेगें। टैन्डर हेतु धरोहर धनराशि 15,000–00 रूपये नगद अथवा उक्त धनराशि का बैंक ड्राफ्ट जनपद न्यायाधीश, मेरठ के नाम हो जो कैशियर, नजारत अनुभाग, सिविल कोर्ट, मेरठ के पास जमा करना होगा, जो टैन्डर स्वीकृत न होने की दशा में उसी दिन अथवा अगले कार्यदिवस में वापस कर दिये जायेगें।

बैटरियों का विवरण एवं टैन्डर की नियम तथा शर्तें माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की ऑफिशियल बेवसाईट www.allahabadhighcourt.in तथा जनपद न्यायालय मेरठ की ऑफिशियल बेवसाईट www.districtcourtmeerut.nic.in पर भी उपलब्ध है। टैन्डर के नियम व शर्तें कार्यदिवस में केन्द्रीय नजारत, जनपद न्यायालय मेरठ के नोटिस बोर्ड पर भी देखी जा सकती है।

10/12/015	10/12/15	Vinai Kumar Dwivedi 10/12/15	10/12/15
(शिवचन्द्र)	(कौशलेन्द्र यादव)	(विनय कुमार द्विवेदी)	(सुभाष चन्द)
सदस्य	सदस्य	सदस्य	अध्यक्ष
क्रय समिति/	क्रय समिति/	क्रय समिति/	क्रय समिति/
अपर जिला जज	अपर जिला जज	अपर जिला जज	अपर जिला जज
सिविल कोर्ट, मेरठ।	सिविल कोर्ट, मेरठ।	सिविल कोर्ट, मेरठ।	सिविल कोर्ट, मेरठ।

प्रतिलिपिः

1. Central project Coordinator, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु।
2. Nodal officer (Computer),जनपद न्यायालय मेरठ की बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु।
3. कार्यालय जिलाधिकारी मेरठ के नोटिस बोर्ड हेतु।
4. जिला सूचना–विज्ञान अधिकारी, मेरठ को बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. कार्यालय जिला सूचना अधिकारी को समाचार पत्र में निःशुल्क प्रकाशन हेतु ।

कार्यालय जनपद न्यायाधीश, मेरठ

यू0पी0एस0 बैटरी के टैन्डर आमंत्रित करने हेतु नियम व शर्तें

1. निविदा की नियत तारीख और समय के बाद प्राप्त निविदायें किसी भी परिस्थितियों में स्वीकार नहीं किया जायेगा।
2. उक्त टैन्डर दिनांक 02.01.2016 को समय 04:00 बजे क्रय समिति के समक्ष तेरह न्यायालय भवन के सभागार कक्ष में खोले जायेगें। यदि निविदा के किसी भी स्तर पर कोई जानकारी मिथ्या/झूठी पायी जाती है तो उक्त निविदा तुरन्त अस्वीकार कर दी जायेगी और आगे मान्य नहीं होगी।
3. उक्त टैण्डर प्रक्रिया में चयनित निविदाकार द्वारा केन्द्र/राज्य द्वारा देय सेवाकर/ वैट /अन्य कर का स्वयं उत्तरदायी होगा। उक्त सम्बन्ध में जनपद न्यायालय मेरठ की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
4. निविदाकार बैटरी के निर्माण/अधिकृत वितरण का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। यदि आवश्यकता होगी तो सत्यापन भी किया जा सकता है।
5. चयनित निविदाकार की यह भी जिम्मेदारी होगी कि संविदात्मक फर्म के द्वारा मरम्मत वारंटी/गारंटी अवधि के दौरान गैर कार्यात्मक बैटरी को बदलने अथवा मरम्मत करायेगें।
6. चयनित निविदाकार की यह भी जिम्मेदारी होगी कि नई बैटरियों की स्थापना योग्य तकनीशियनों द्वारा ही किया जाये तथा बैटरी स्थापना में किसी भी प्रकार की हानि, क्षति, खर्च की पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं निविदाकार की होगी।
7. समस्त बैटरी आपूर्तिकर्ता को नजारत अनुभाग में स्वयं अपने व्यय/खर्चे पर पहुंचा कर न्यायालय में स्थापित करनी होगी।
8. आपूर्तिकर्ता को टैन्डर की धरोहर धनराशि अंकन 15,000–00 रूपये दिनांक 02–01–2016 को दोपहर 12:00 बजे तक कैशियर सिविल कोर्ट, मेरठ की पास जमा करानी होगी।
9. टैण्डर स्वीकृत होने की दशा में अन्दर 15 दिन में समस्त बैटरियों का अपने व्यय पर न्यायालय के यू0पी0एस0 में स्थापित करना होगा। अन्यथा 15 दिन के बाद प्रथम टैण्डरदाता की धरोहर धनराशि जब्त करके, अन्य शर्तें पूरी होने की उपरान्त द्वितीय टैण्डरदाता के पक्ष में छोड़ दी जायेगी।
10. आवेदक को टैन्डर के साथ बैटरी का मूल्य व मॉडल व ब्राण्ड का नाम भी अंकित कर संलग्न करना होगा।
11. किसी भी टैण्डर को निरस्त करने का अधिकार माननीय जिला न्यायाधीश, मेरठ में निहित है।
12. किसी भी गैर अनुपालन निविदा को अस्वीकृत कर दिया जायेगा।
13. किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र जनपद न्यायालय मेरठ होगा।

10/12/015	10/12/15	10/12/15	10/12/15
(शिवचन्द)	(कौशलेन्द्र यादव)	(विनय कुमार द्विवेदी)	(सुभाष चन्द)
सदस्य	सदस्य	सदस्य	अध्यक्ष
क्रय समिति/	क्रय समिति/	क्रय समिति/	क्रय समिति/
अपर जिला जज	अपर जिला जज	अपर जिला जज	अपर जिला जज
सिविल कोर्ट, मेरठ।	सिविल कोर्ट, मेरठ।	सिविल कोर्ट, मेरठ।	सिविल कोर्ट, मेरठ।

कार्यालय जनपद न्यायाधीश, मेरठ

यू0पी0एस0 बैटरी का विवरण

कमांक	प्रतिष्ठित कम्पनी का नाम	वस्तु का नाम तथा साइज	नई बैटरी मूल्य दर (पुरानी बैटरी वापसी सहित)	नई बैटरी मूल्य दर (बिना पुरानी बैटरी वापसी सहित)
1.	Amron	यूपीएस बैटरी, 12 बोल्ट 28 ए0एच0		
2.	Luminous	यूपीएस बैटरी, 12 बोल्ट 28 ए0एच0		
3.	Exide	यूपीएस बैटरी, 12 बोल्ट 28 ए0एच0		
4.	Okaya	यूपीएस बैटरी, 12 बोल्ट 28 ए0एच0		

नोटः बैटरी उत्तम क्वालिटी तथा विज्ञाप्ति में दर्शित कम्पनी की ही होनी चाहिये।

कार्यालय जनपद न्यायाधीश, मेरठ

यू0पी0एस0 बैटरी, 12 बोल्ट 28 ए0एच0 की बैटरी (प्रतिष्ठित कम्पनी की) हेतु

आवेदन पत्र/टैण्डर फार्म

नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो चस्पा करें

टैण्डर वास्ते		बैटरी क्रय किये जाने तथा पुरानी बैटरियों के बिक्री (प्रतिष्ठित कम्पनी की)
अग्रिम जमा धरोहर धनराशि	:	15,000—00 रूपये
टैण्डरदाता द्वारा प्रस्तुत बैटरी की कीमत व कम्पनी का नाम	:	....
अ) बैटरी सहित	:	....
ब) बिना बैटरी सहित		....
बैटरी की वारन्टी की अवधि तथा प्रकार	:	....
प्रतियों की संख्या		....
डी0जी0एस0 एवं डी0 रेट(**Directorate General of Supplies & Disposals rates**)की सूची की प्रति	:	....
अधिकारिता प्रमाण पत्र		....
अनुरक्षण व्यय		
टैण्डरदाता का पूरा नाम व पता (निर्वाचन पहचान पत्र की फोटोप्रति सहित)	:	....
टैण्डरदाता के दो परिचय दाताओं के नाम व पता	:	1. हस्ताक्षर .... नाम .... पता ....
		2. हस्ताक्षर .... नाम .... पता ....

आवेदक/टैण्डरदाता के हस्ताक्षर